मु .नं. 35/2019

23.07.024	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.। प्रार्थी वकील ने अप्रार्थीगण की रजि.एडी पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थी वकील ने अपने तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया, कि मौजा अरणाय पटवार हल्का अरणाय तहसील साचौर में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के पड़ौसी खातेदार है दोनों के खेत खसरा नम्बर 22,2329/23 रकबा क्रमशः 0.20 हैक्टयर, 0.40 हैक्टयर जुमले रकबा 0.60 हैक्टयर लगते हुये है। परन्तु अप्रार्थीगण उनकी खातेदारी क्षेत्र में आकर आवास निर्माण कर रहे है अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद ताफैसला तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मौके यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद फरमावे। हमनें वकील प्रार्थी की पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व को अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई [illegible] अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी की जाती है कि मौजा अरणाय पटवार हल्का [illegible] तहसील साचौर के खेत खसरा नम्बर 22,2329/23 रकबा [illegible] 0.20 हैक्टयर, 0.40 हैक्टयर जुमले रकबा 0.60 हैक्टयर [illegible] अप्रार्थीगण मौके की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली [illegible] से कम। मूल वाद के फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं [illegible] साथ संलग्न हो। सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:33:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner